13/2015 2015/00014

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ
(राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट मुख्यालय सैपऊ)

पीठासीन अधिकारी –विनोद कुमार मीना आर0 ए0 एस0

प्रकरण संख्या–13/2015

प्रेमसिंह पुत्रश्री नत्थी जाति जाटव निवासी ग्राम सैपऊ तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

.................वादी

बनाम

1–रामवीर |
2–रज्जो |
3–विजयसिंह |
4–ओमप्रकाश | पुत्रगण श्री नत्थी
5–भोगीलाल | पुत्र व
6–सन्तूरी | पुत्री पिसरान श्री चुन्नी जाति जाटव निवासी ग्राम सैपऊ
| तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
7–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ

....................प्रतिवादीगण

दावा वावत् बटंवारा काश्त
एवं स्थायी निषेधज्ञा

उपस्थिति–
1–श्री, योगेश कुमार शर्मा एडवोकेट –वादी
2–श्री सुरेन्द्र कुमार दुवे एडवोकेट – प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी सैपऊ जिला–धौलपुर (राज0)

निर्णय **दिनांकः 15.6.2017**

वादीगण की ओर से उपरोक्त उनवानी प्रकरण न्यायालय में वास्ते बटबारा आराजी खसरा नम्बर 2693 एवं 2704 कुल किता 2 कुल रकवा 1 बीघा 7 बिस्वा स्थित ग्राम सैपऊ नम्बर 1 तहसील सैपऊ न्यायालय में पेश किया, जो उभयपक्ष को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर गुणावगुण के आधार पर दिनांक 20.4.2017 को प्रारंभिक डिक्री किया जाकर विवादित आराजी का वाई मीटस एण्ड वाउण्डस बटवारा किया जाकर तहसीलदार सैपऊ को मौके अनुसार प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

तहसीलदार सैपऊ द्वारा कैम्प के दौरान विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये। विभाजन प्रस्ताव पर विद्वान अभिभाषकगण व उपस्थित पक्षकारों को सुना। उपस्थित पक्षकारों में से प्रतिवादीगण एवं विद्वान अभिभाषक प्रतिवादीगण ने प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति की तथा पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगाये जाने का निवेदन किया। लोक अदालत की भावना से उपस्थित प्रतिवादीगण रज्जो व विजयसिंह को प्राप्त विभाजन प्रस्ताव को दिखाया जाकर समझाया गया लेकिन उन्होने बटवारा किये

उपखण्ड अधिकारी सैपऊ
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
ग्राम पंचायत ....

जाने से ही इंकार किया । हमने प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया । तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पक्षकारों के रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार तैयार कर भिजवाये गये है साथ ही सभी हिस्सेदारों को उनके हिस्से अनुसार रोड की ओर जमीन देते हुए प्रस्ताव तैयार किये गये है। प्रस्तुत प्रस्ताव न्यायसंगत एवं रिकार्ड अनुंसार होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा अंतिम डिकी करना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि दावा वादी मुताविक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिकी किया जाता है तथा आराजी वादग्रस्त स्थित ग्राम सैपऊ नम्बर 1 तहसील सैपऊ के वावत् पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बटवारा किया जाता है :-

1-प्रेमसिंह पुत्रश्री नत्थी जाति जाटव निवासी ग्राम सैपऊ तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

क0सं0	ख0नं0	रकवा
1.	2693/1	0.03 पश्चिम की ओर
	2704/1	0.05 पश्चिम की ओर
कुल	02	0.08

2-भोगीलाल पुत्रश्री चुन्नी जाति जाटव निवासी ग्राम सैपऊ तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

क0सं0	ख0नं0	रकवा
1.	2693/2	0.03 मध्य में पश्चिम की ओर
	2704/2	0.04 मध्य में पश्चिम की ओर
कुल	02	0.07

3-सन्तूरी पुत्रीश्री चुन्नी जाति जाटव निवासी ग्राम सैपऊ तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

क0सं0	ख0नं0	रकवा
1.	2693/3	0.03 मध्य में पूरव की ओर
	2704/3	0.04 मध्य में पूरव की ओर
कुल	02	0.07

4-रामवीर, रज्जो, विजयसिह व ओमप्रकाश पुत्रगण श्री नत्थी जाति जाटव निवासी ग्राम सैपऊ तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

क0सं0	ख0नं0	रकवा
1.	2693/4	0.02 पूरव की ओर
	2704/4	0.03 पूरव की ओर
कुल	02	0.05

उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज कर पक्षकारों के पृथक–पृथक खाता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही तहसीलदार सैपऊ को आदेश दिया जाता है कि विभाजित खसरा नम्बरों के वावत् नियमानुसार राजस्व मानचित्र में तरमीम की कार्यवाही करने के उपरान्त ही नामा0 की कार्यवाही करें । लगान के 20 गुणा राशि पर देय मुन्द्रांक शुल्क के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेश होने पर पर्चा डिकी जारी किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 15.6.2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी सैपऊ
राजस्व लोक अदालत / कैम्प कोर्ट
मुख्यालय सैपऊ